



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 894]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

**का.आ. 1149(अ).**—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96-आइ.आर.(पी.एल.)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

**S.O. 1149(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/2/96- IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

1944 GI/2015